



राजस्थान सरकार  
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग  
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : [rscdrc.food.rajasthan.gov.in](http://rscdrc.food.rajasthan.gov.in), मेल आई.डी. [raj-sforum@nic.in](mailto:raj-sforum@nic.in), दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 6 (60)रा.आ./स्था./अति.चार्ज/2018/

दिनांक:

### कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के अवकाश/अनुपस्थिति के दौरान वित्तीय प्रशासनिक व आवश्यक दैनिक न्यायिक कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष को वरियता क्रमानुसार लिंक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत व निर्देशित किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला आयोग का नाम	लिंक जिला आयोग वरियता क्रम अनुसार (प्रथम लिंक व द्वितीय लिंक)	रिक्त जिला आयोग का अतिरिक्त चार्ज/कैम्प जिस आयोग के पास है।
1	2	3	4
1.	अजमेर	1 जयपुर II 2 जयपुर III	
2.	अलवर	1 दौसा 2 भरतपुर	
3.	बांसवाडा	1 प्रतापगढ 2 उदयपुर	डूंगरपुर कैम्प चतुर्थ सप्ताह
4.	बारां	1 कोटा 2 बूंदी	
5.	बाड़मेर	1 जैसलमेर 2 जालोर	
6	भरतपुर	1 धौलपुर 2 अलवर	
7	भीलवाडा	1 चित्तौडगढ 2 अजमेर	राजसमंद कैम्प चतुर्थ सप्ताह
8	बीकानेर	1 चूरु 2 झुन्झुनू	



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : [rscdrc.food.rajasthan.gov.in](http://rscdrc.food.rajasthan.gov.in), मेल आई.डी. [raj-sforum@nic.in](mailto:raj-sforum@nic.in), दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 6 (60)रा.आ./स्था./अति.चार्ज/2018/

दिनांक:

क्र. सं	जिला आयोग का नाम	लिंक जिला आयोग वरियता क्रम अनुसार (प्रथम लिंक व द्वितीय लिंक)	रिक्त जिला आयोग का अतिरिक्त चार्ज/कैम्प जिस आयोग के पास है।
1	2	3	4
9	बूंदी	1 कोटा 2 टोंक	
10	चित्तौड़गढ़	1 राजसमन्द 2 उदयपुर	
11	चूरु	1 झुन्झुनू 2 सीकर	
12	दौसा	1 जयपुर III 2 जयपुर I	
13	धौलपुर	1 भरतपुर 2 अलवर	
14	डुंगरपुर	1 उदयपुर 2 चित्तौड़गढ़	
15	श्रीगंगानगर	1 बीकानेर 2 चूरु	
16	हनुमानगढ़	1 चूरु 2 बीकानेर	श्रीगंगानगर कैम्प चतुर्थ सप्ताह
17	जयपुर-I	1 जयपुर - II 2 जयपुर - III	
18	जयपुर - II	1 जयपुर - III 2 जयपुर - I	
19	जयपुर - III	1 जयपुर - I 2 जयपुर - II	
20	जयपुर - IV	1 जयपुर -I 2 जयपुर -III	धौलपुर कैम्प चतुर्थ सप्ताह
21	जैसलमेर	1 बाडमेर 2 जोधपुर -I	



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : [rscdrc.food.rajasthan.gov.in](http://rscdrc.food.rajasthan.gov.in), मेल आई.डी. [raj-sforum@nic.in](mailto:raj-sforum@nic.in), दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 6 (60)रा.आ./स्था./अति.चार्ज/2018/

दिनांक:

क्र. सं	जिला आयोग का नाम	लिंक जिला आयोग वरियता क्रम अनुसार (प्रथम लिंक व द्वितीय लिंक)	रिक्त जिला आयोग का अतिरिक्त चार्ज/कैम्प जिस आयोग के पास है।
1	2	3	4
22	जालौर	1 सिरोही 2 पाली	
23	झालावाड	1 कोटा 2 बूंदी	बारां कैम्प चतुर्थ सप्ताह
24	झुन्झुनू	1 चुरू 2 सीकर	
25	जोधपुर-I	1 जोधपुर-II 2 पाली	
26	जोधपुर-II	1 जोधपुर -I 2 पाली	
27	करौली	1 धोलपुर 2 दौसा	
28	कोटा	1 बूंदी 2 बारा	
29	नागौर	1 बीकानेर 2 जोधपुर- I	जोधपुर द्वितीय कैम्प चतुर्थ सप्ताह
30	पाली	1 जोधपुर-I 2 जोधपुर-II	
31	प्रतापगढ़	1 डूंगरपुर 2 उदयपुर	चित्तौड़गढ़ कैम्प चतुर्थ सप्ताह
32	राजसमन्द	1 उदयपुर 2 चित्तौड़गढ़	
33	सवाई माधोपुर	1 दौसा 2 बूंदी	करौली कैम्प चतुर्थ सप्ताह
34	सीकर	1 झुन्झुनू 2 चुरू	



राजस्थान सरकार  
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग  
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : [rscdrc.food.rajasthan.gov.in](http://rscdrc.food.rajasthan.gov.in), मेल आई.डी. [raj-sforum@nic.in](mailto:raj-sforum@nic.in), दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 6 (60)रा.आ./स्था./अति.चारज/2018/

दिनांक:

क्र. सं	जिला आयोग का नाम	लिंक जिला आयोग वरियता क्रम अनुसार (प्रथम लिंक व द्वितीय लिंक)	रिक्त जिला आयोग का अतिरिक्त चार्ज/कैम्प जिस आयोग के पास है।
1	2	3	4
35	सिरोही	1 पाली 2 जालोर	
36	टोंक	1 जयपुर-II 2 बूंदी	
37	उदयपुर	1 राजसमन्द 2 डूंगरपुर	

**नोट:-**

- कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला आयोग के अध्यक्ष के अवकाश जाने पर कॉलम संख्या 3 में दर्शित वरियता क्रम के अनुसार पहले प्रथम लिंक जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा व उनके भी अवकाश में होने पर या अनुपस्थिति की दशा में द्वितीय लिंक जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय, प्रशासनिक एवं आवश्यक दैनिक न्यायिक कार्य सम्पादित किया जावेगा।
- जिला आयोग (बासंवाडा, भीलवाडा, हनुमानगढ, झालावाड, नागौर, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर) जहाँ कि अध्यक्ष का पद रिक्त होकर अतिरिक्त कार्यभार अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष, जिसका उल्लेख कॉलम संख्या 4 में किया है, को सौपा गया है। उन रिक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्य उन्ही अतिरिक्त कार्य प्रभार सौपे गये अध्यक्षों द्वारा ही किया जावेगा व उनके अवकाश पर रहने की दशा में कॉलम संख्या 3 में दर्शित वरियता क्रम अनुसार पहले प्रथम लिंक जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा व उनके भी अवकाश में होने पर या अनुपस्थिति की दशा में द्वितीय लिंक जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय, प्रशासनिक एवं आवश्यक दैनिक न्यायिक कार्य सम्पादित किये जायेगे।
- क्रम संख्या 20 पर अंकित जिला आयोग जयपुर चतुर्थ, जिसका माह के चतुर्थ सप्ताह में कैम्प का अतिरिक्त कार्यभार अध्यक्ष जिला आयोग धौलपुर को दिया गया है, कैम्प के दौरान जिला आयोग जयपुर चतुर्थ का वित्तीय, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य, धौलपुर अध्यक्ष द्वारा ही किये जायेगे तथा कैम्प अवधि के अतिरिक्त अन्य दिवसों को या कैम्प नही लगने पर या कैम्प की अवधि में उनके अवकाश पर रहने की दशा में जयपुर चतुर्थ का वित्तीय, प्रशासनिक एवं आवश्यक दैनिक न्यायिक कार्य कॉलम संख्या 3 के वरियता क्रम अनुसार पहले प्रथम लिंक जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा व उनके भी अवकाश में होने पर



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : [rscdrc.food.rajasthan.gov.in](http://rscdrc.food.rajasthan.gov.in), मेल आई.डी. [raj-sforum@nic.in](mailto:raj-sforum@nic.in), दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 6 (60)रा.आ./स्था./अति.चार्ज/2018/

दिनांक:

या अनुपस्थिति की दशा में द्वितीय लिंक जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

4. जिला आयोग अध्यक्ष अवकाश पर जाने से पूर्व सम्बन्धित लिंक अध्यक्ष को अवगत कराकर ही अवकाश पर जायेंगे।


Sd/-

(बी.एस.पांडिया)

रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 6 (60)रा.आ./स्था./अति.चार्ज/2018/978-703067 दिनांक: 22/12/2020  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. सदस्य, न्यायिक/गैर न्यायिक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान।
6. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
7. अध्यक्ष, समस्त बार एसोसियेशन, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
22/12/2020  
(बी.एस.पांडिया)  
रजिस्ट्रार